'नया मोबाइल मुहैया कराएं या कीमत लौटाएं'

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कंज्यूमर फोरम ने नौदरा ब्रिज स्थित विषम मोबाइल नामक दुकान के संचालक को आदेश दिया कि वह नया मोबाइल मुहैया कराए या फिर कीमत लौटाए। यही नहीं मानसिक पीड़ा के एवज में 3500 रुपए क्षतिपूर्ति राशि का भी अलग से भुगतान किया जाए।

कंज्यूमर फोरम के समक्ष आवेदक जबलपुर निवासी अवधेश गुप्ता व दीपक तिवारी की ओर से पक्ष रखा गया। दलील दी गई कि दुकान से जियोनी कंपनी का मोबाइल खरीदने के बाद से ही उसमें खामियां सामने आने लगीं। जिसकी शिकायत करने पर दुकानदार से संतोषजनक जवाब नहीं दिया। लिहाजा, अधिकृत सर्विस सेंटर से संपर्क साधा गया। वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। इससे साफ हो गया कि डिफेक्टिव मोबाइल सेट बेचा गया था। इसीलिए पहले अधिवक्ता के जरिए लीगल नोटिस भेजा गया और बाद में फोरम की शरण ले ली गई। फोरम ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद दुकानदार को सेवा में कमी का दोषी पाया। इसी के साथ उपभोक्ता के हक में आदेश पारित कर दिया।

डीईओ शिक्षक की शिकायत दूर करें व मौजूदा स्कूल में रहने दें

जबलपुर। नवदुनिया प्रतिनिधि

हाई कोर्ट ने निर्देश के साथ किया याचिका का निराकरण

मप्र हाई कोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) 30 दिन के भीतर शिकायतकर्ता के लंबित आवेदन पर नियमानुसार आदेश पारित करें। जब तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, याचिकाकर्ता को मौजूदा स्कूल में ही पदस्थ रहने दिया जाए।

न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता छतरपुर निवासी दीपक कुमार खरे की ओर से अधिवक्ता मनोज मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेंड्री स्कूल, छतरपुर में पदस्थ है। उसे 8 अगस्त 2018 को जारी आदेश के जरिए शासकीय हायर सेकेंड्री स्कूल, बदौराकलां स्थानांतरित कर दिया गया है। डीईओ ने प्रतिबंधित अवधि में विहित प्रक्रिया व प्रावधान का पालन न करते हुए सक्षम अधिकारी न होते हुए भी स्थानांतरण आदेश जारी किया। वह चुनौती के योग्य है। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन लंबित है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद आदेश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत किए जाने के 30 दिन के भीतर डीईओ समुचित आदेश पारित करे।